न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः अंकित दवे, (R.J.S.)

मूल फौजदारी प्रकरण सं.: 1679/2022
(सीआईएस सं.: 1679/2022)
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.: 04/2022-23, आबकारी निरोधक दल बांसवाडा

राजस्थान राज्य

- **अभियोगी**

ब ना म

लक्ष्मणलाल पुत्र विठला, उम्र 47 वर्ष, निवासी बडलिया, पुलिस थाना सदर, जिला बांसवाडा (राजस्थान)

- अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950

उपस्थितिः-

1. श्रीमती किरण, विद्वान अभियोजन अधिकारी- वास्ते राजस्थान राज्य
2. आकाश पटेल, विद्वान अधिवक्ता- वास्ते अभियुक्त

:: नि र्ण य:: दिनांकः 05.06.2026

(1.) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है किदिनांक 10.04.2022 को मंगलाराम प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल बाँसवाड़ा द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज की गई है कि आज दिनांक को बहमराह बहादुरलाल जमादार मय जीप जाप्ता के साथ दौराने रेड गश्त पडत सरकारी शराब दुकान चिडियावासा के हल्का क्षेत्र बडलिया भीलवन तिराहे के पास आम रास्ते पर सामने से एक व्यक्ति अपने हाथ में एक प्लास्टिक कटटा लिये आता दिखाई दिया, जिसे जाब्ते से बहादुरलाल जमादार ने पहचान कर बताया कि वह व्यक्ति लक्ष्मणलाल पिता विठला निवासी बडलिया है। उन्हें बावर्दी मय जीप देखकर एकदम रास्ता छोडकर एवं कटटा वहीं पटक कर भागने लगा। नामजद रूकने की आवाज लगाई, जाब्ते से पीछा करवाया, परंतु मुल्जिम मौके से रूहपोश हो गया। ताबाद आस पास स्वतन्त्र गवाह तलबी के प्रयास किये, परन्तु स्वतन्त्र गवाह के अभाव में जाप्ते से बहादुरलाल जमादार एवं

जीवन प्रकाश सिपाही को मौतबीर मामूर कर रूबरू मौतबीरान प्लास्टिक कटटे को खोलकर देखा-दिखाया, गिना-गिनाया, तो कटटे में से 27 बोतल किंग फिशर बीयर, भरी राजस्थान राज्य का लेबल लगा हुआ बरामद की गई। मुल्जिम लक्ष्मणलाल का कृत्य राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 का होने से मौके से बरामद प्लास्टिक कटटे में से वास्ते रासायनिक जांच नमूना सैंपल एक बोतल किंग फिशर बीयर की भरी अलग निकाल कर वजह सबूत प्लास्टिक कटटा शराब सहित एवं नमूना सैंपल मौतबीरान के दस्तखत युक्त चिटठो से सीलचीट कर कब्जे राज लिया गया..........इत्यादि।

(2.) उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आबकारी निरोधक दल बांसवाडा में प्र.सू.रि.संख्या- 04/2022-23 पंजीबद्ध की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान न्यायालय के समक्ष दिनांक- 04.08.2022 को अभियुक्त लक्ष्मणलाल के विरुद्ध अपराध धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत आरोप-पत्र पेश किया गया, जिस पर प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

(3.) दिनांक 04.08.2022 को अभियुक्त लक्ष्मणलाल को अपराध धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम, 1950 का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अन्वीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य में नीचे वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया , जिसके उपरांत साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई।

:: अभियोजन गवाह सूची ::

साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू-01	जीवन प्रकाश	मौतबीर कार्यवाही
पीडब्ल्यू-02	जसवंत सिंह	सैंपल जमाकर्ता
पीडब्ल्यू-03	बहादुरलाल	मौतबीर/मालखाना इंचार्ज

पीडब्ल्यू-04	मंगलाराम	बरामदगीकर्ता/अनुसंधान

:: अभियोजन प्रदर्श सूची ::

प्रदर्श पी. संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति
प्रदर्श पी.01	फर्द जब्ती शराब
प्रदर्श पी.02	बरामदगीस्थल का नक्शा
प्रदर्श पी.03	फर्द गिरफतारी अभियुक्त लक्ष्मणलाल
प्रदर्श पी.04	एफएसएल सैंपल जमा रसीद
प्रदर्श पी.05	अग्रेषण पत्र
प्रदर्श पी.06	एफएसएल रिपोर्ट
प्रदर्श पी.07	मालखाना नकल
प्रदर्श पी.08	प्रथम सूचना रिपोर्ट

(4.) अभियुक्त के बयान मुलजिम धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किए गए, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरुद्ध पेश अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए गवाहान द्वारा झूठ बोलने, स्वयं का निर्दोष होना व झूठा फंसाए का कथन किया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा।

(5.) बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क पेश किया कि प्रकरण में प्रस्तुत सभी गवाह विभागीय अधिकारी/कर्मचारी होकर हितबद्ध साक्षी है एवं किसी भी स्वतंत्र गवाह को परीक्षित नहीं करवाया गया है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के कब्जे से शराब की बरामदगी को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे। विद्वान अभियोजन अधिकारी ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए मामला पूर्णतया युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होने का

कथन कर अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

(6.) पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन-अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि-

''क्या अभियुक्त लक्ष्मणलाल ने दिनांक 04.08.2022 को समय करीब 05.30 पी.एम मौजा बडलिया में भीलवन चौराहे के पास आम रास्ते पर अपने अनन्य व सचेतन आधिपत्य के एक प्लास्टिक कटटे में 27 बोतल किंग फिशर बीयर अवैध रूप से अपने कब्जे में रख परिवहन किया, जिसे कब्जे में रखने व परिवहन करने का अभियुक्त के पास कोई वैद्य लाइसेंस/अनुज्ञा पत्र नहीं था। इस प्रकार अभियुक्त ने राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 19/54 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया है।

यदि हां, तो अभियुक्त किस दंड का पात्र है ?''

(7.) उपरोक्त अवधार्य बिंदु को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है, जिसके संबंध में उनके द्वारा कुल 04 गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया है। सर्वप्रथम प्रकरण के बरामदगीकर्ता/ अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू-04 मंगलाराम की साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो वह अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि वह दिनांक 10.04.2022 को आबकारी निरोधक दल बांसवाड़ा में प्रहाराधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन बहमराह बहादुरलाल जमादार मय जीप जाप्ता रेड गश्त करते हुए चिडियावासा के पास बडलिया भीलवान तिराहे के पास आस रास्ते पर एक व्यक्ति सामने से प्लास्टिक का कट्टा लेकर आते दिखाई दिया, जिसे शंका होने पर रोका, तो वह प्लास्टिक कट्टे को वहीं छोड़कर तेज कदमों से भागता हुआ रुहपोश हो गया। भागने वाले व्यक्ति को बहादुरलाल जमादार ने पहचान कर बताया कि वह लक्ष्मणलाल पिता विठला निवासी, बडलिया है। आस-पास स्वतंत्र गवाहों के नहीं होने से जाब्ते में से बहादुरलाल व धन्नासिंह को गवाह मामूर कर लक्ष्मणलाल द्वारा छोड़े गए प्लास्टिक कट्टे को खोलकर देखा, तो उसमें 27 बोतल किंग फिशर बीयर

भरी होना पाया गया। प्लास्टिक कट्टे में से एक बोतल बीयर वास्ते एफएसएल सैंपल हेतु अलग निकाल कर नमूना सैम्पल व प्लास्टिक कट्टे को शेष बीयर बोतलों सहित हाजरीन के हस्ताक्षर युक्तचिटों से सिलचीट कर कब्जे राज लिया। फर्द जब्ती, नक्शा मौका मौके पर बनाया, जो कमशः प्रदर्श पी 1 व 2 है, जिन पर इ से एफ उसके व ए से बी, सी से डी गवाह के हस्ताक्षर हैं व फर्द जप्ती पर एक्स स्थान पर उसकी नमूना सील अंकित है। मुल्जिम को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 03 है, जिस पर जी से एच उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 5 है, जिस पर ए से बी उसके व एक्स स्थान पर उसकी 'नमूना सील अंकित हैं। एफएसएल जमा रसीद प्रदर्श पी 4 है। एफएसएल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। गवाहों के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। मालखाना की नकल प्रदर्श पी 7 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। एफआईआर प्रदर्श पी 8 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 19/54 आब.अधि. का जूर्म प्रमाणित पाए जाने से आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में उसके द्वारा पेश किया गया। अधिवक्ता अभियुक्त को जिरह का अवसर दिये जाने पर भी अभियुक्त पक्ष द्वारा गवाह से जिरह नहीं की गई है।

(8.) मौतबीर/जाब्ता सदस्य पीडब्ल्यू-01 जीवन प्रकाश ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 10.04.2022 को वह आबकारी थाना सेमलिया में जमादार के पद पर तैनात था उस दिन वह व प्रहराधिकारी आबाकरी थाना बांसवाडा मय जाब्ता गश्त हेतु गए हुए थे, गश्त करते हुए वह चिडियावासा की तरफ जा रहे थे, कि बडलिया भीलवन चौराहे आम रास्ते पर सामने से एक व्यक्ति अपने हाथ में एक प्लास्टिक का जरीकेन लिये आता दिखाई दिया, जिसे सिपाही बहादुरलाल ने पहचान कर बताया कि वह व्यक्ति लक्ष्मण पिता विठला निवासी बडलिया था, जो उनकी गाडी देखकर घबरा कर जाने लगा, जिसे नामजद आवाज दी, लेकिन नहीं रूका एवं रास्ता बदल लिया पिछा किया लेकिन पकड में नहीं आया। आस-पास कोई गवाह नहीं मिलने से उन्हें गवाह बनाया गया। प्लास्टिक के कटटे को खोलकर देखा, तो उसमें किंग फिशर बीयर की 27 बोतल शराब होना पाया गया। दस्तावेज के बारे में

पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। उक्त शराब को नियमानुसार जब्त की व नमुना सेम्पल निकाला। फर्द जब्ती बनायी, जो प्रदर्श पी 1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर नमुना सील अंकित है। नक्शा मौका बनाया, जो प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त को गिरफतार करके फर्द गिरफतारी बनायी, जो प्रदार्श पी 3 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्त को जिरह का अवसर दिये जाने पर भी अभियुक्त पक्ष द्वारा गवाह से जिरह नहीं की गई है।

(9.) मालखाना इंचार्ज एवं मौतबीर गवाह पीडब्ल्यू -03 बहादुर सशपथ कथन करता है कि दिनांक 10.04.2022 को वह प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल बांसवाड़ा में तैनात था। उस दिन रेड गश्त करते हुए बडलिया से भीलवंत की ओर जा रहे थे। उस दौरान भीलवंत तिराहे आम रास्ते से एक व्यक्ति अपने हाथ में प्लास्टिक का कट्टा लेकर आते दिखाई दिया , जिसे रोका, तो वह व्यक्ति प्लास्टिक कट्टा वहीं छोड़कर घबराते हुए भागा और रूहपोश हो गया। भागने वाले व्यक्ति को जाब्ते में से उसने पहचाना। आस - पास स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने से जाब्ते में से उसे व जीवन प्रकाश को गवाह मामूर कर दोनों से भागने वाले व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उन्होंने उसका नाम लक्ष्मण पिता विठला निवासी बडलिया होना बताया। प्लास्टिक जरीकेन का ढक्कन खोलकर देखा-दिखाया, सुंघा-सुंघाया तो उसमें 27 बोतल किंगफिशर बीयर फॉर सेन इन राजस्थान अवैध शराब पाई गई। प्लास्टिक जरीकेन एक साफ कांच के पव्वे वास्ते रासायनिक जांच अलग भरकर नमूना शराब पव्वे व प्लास्टिक जरीकेन की हाजरीन के हस्ताक्षर युक्त चिटों से सिल चिट कर कब्ज़े राज किया। फर्द जब्ती मौके पर मुर्तिब की जो प्रदर्श पी 1 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 3 है, जिस पर इ, से एफ उसके हस्ताक्षर व सी से डी मुल्जिम के हस्ताक्षर हैं।

(10.) सैंपल जमाकर्ता गवाह पीडब्ल्यू-02 जसवंत सिंह सशपथ कथन करता है कि दिनांक 18.04.2022 को थाने के प्रकरण सं 04/2022-23 में अंतर्गत

धारा 19/54 आब.अधि. में जब्तशुदा शराब का सैंपल वास्ते एफएसएल हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर लेकर गया, जहां पर सैंपल जमा करा कर रसीद लाकर दी, जो प्र पी 04 है। अधिवक्ता अभियुक्त को जिरह का अवसर दिये जाने पर अभियुक्त पक्ष द्वारा गवाह से जिरह नहीं की गई है।

(11.) पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का बहस के संदर्भ में सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। अवैध शराब कब्जे में रखने के मामलो में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य बरामदगी का होता है , जिसके संबंध में अभियोजन पक्ष को बरामदगी कार्यवाही की सत्यता सहित बरामद होने के स्थान, मात्रा व बरामद पदार्थ के शराब होने के तथ्यों को संदेह से परे साबित किया जाना आवश्यक होता है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त के सचेतन आधिपत्य के एक प्लास्टिक कटटे में से 27 बोतल किंग फिशर बीयर फॉर सेल इन राजस्थान ऑनली का लेबल लगा बडलिया में भीलवन तिराहे के पास आम रास्ते से बरामद हुई थी, जिस बाबत बरामदगीकर्ता/अनुसंधानकर्ता पीडब्ल्यू-04 मंगलाराम तथा उसके साथ जाब्ते में मौजूद सदस्य पीडब्ल्यू-01 जीवन प्रकाश, पीडब्ल्यू-03 बहादुर ने एक स्वर में अभियोजन कहानी की ताईद करते हुए दिनांक 10.04.2022 को बडलिया में रेड गश्त के दौरान भीलवंत तिराहे के पास आम रास्ते पर एक व्यक्ति के हाथ में प्लास्टिक का कटटा लेकर आते दिखाई देने पर उसे रोकने की कोशिश करने पर उक्त व्यक्ति के प्लास्टिक के कट्टे को वहीं छोड़कर घबराते हुए भागकर रूहपोश हो जाने पर तथा भागने वाले व्यक्ति को जाब्ते में बहादुरलाल द्वारा लक्ष्मण पिता विठला निवासी बडलिया के रूप में पहचान किये जाने एवं बरामद प्लास्टिक कटटे को खोलकर देखने पर उसमें 27 बोतल किंगफिशर बीयर फॉर सेन इन राजस्थान अवैध शराब पाए जाने के कथन कर उक्त अंग्रेजी शराब/बीयर को अपने कब्जे में रख व परिवहन करने बाबत् अभियुक्त के पास कोई वैध परमीट नहीं होना प्रकट करते हैं। उपरोक्त तथ्यों के संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त पक्ष द्वारा किसी भी गवाह से जिरह नहीं किये जाने से गवाहों के कथनों का किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है तथा गवाहों के कथनों में कोई तात्वीक या गंभीर विरोधाभास उभर कर नहीं आया है। अब इस संबंध में देखा जाए कि क्या बरामद बीयर बोतलों में भरा पदार्थ अल्कोहॉलिक पेय/शराब ही थी, तो इस संबंध में बियर बोतलों में से नियमानुसार लिए गए सैंपल को रासायनिक प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु निर्धारित प्रकिया के तहत भेजा गया है। जिसकी पुष्टि मालखाना प्रभारी पीडब्ल्यू-03 बहादुर सहित अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू-04 मंगलाराम, मौके

के मौतबीर गवाह पीडब्ल्यू-01 जीवन प्रकाश के कथनों एवं दस्तावेजी प्रमाण यथा प्रदर्श पी- 04, 05 व प्रदर्श पी 07 से होती है। उक्त प्रयोगशाला से प्राप्त एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी -06 अनुसार बीयर सैम्पल में क्रमशः 06.58%v/v Under Proof Ethyl Alcohol की तीव्रता पाई गई है, जिससे जब्तशुदा प्लास्टिक के कटटे में भरी बीयर बोतलों में भरा पदार्थ अल्कॉहोलिक पेय/अंग्रेजी बीयर होने के तथ्य की पुष्टि होती है। अभियोजन पक्ष ने बरामदशुदा माल व सैंपल के मालखाना में जमा होने के संबंध में मालखाना रजिस्टर प्रति प्रदर्श पी -07 को प्रदर्शित करवाया है जिसकी पुष्टि अनुसंधान अधिकारी गवाह पीडब्ल्यू-04 मंगलाराम के बयानों से होती है तथा अनुसंधान अधिकारी ने अपने सशपथ बयान में संपूर्ण अनुसंधान को प्रमाणित करते हुए अभियुक्त लक्ष्मणलाल के विरुद्ध आरोप प्रमाणित मानने का कथन किया है, जिस पर अविश्वास करने का कोई ठोस कारण नहीं है। इस प्रकार कुलिया साक्ष्य से अभियुक्त से बरामदगी कार्यवाही की संपुष्टि होती है। अभियोजन साक्षीगण में से किसी भी साक्षी से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है, जिससे कोई ऐसे तथ्य उभर कर नहीं आए हैं, जो प्रकरण की जड़ तक जाकर अभियोजन कहानी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हो या अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संलिप्त किया जाना प्रकट करते हो। अभियोजन की ओर से पेश मौखिक साक्ष्य एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रदर्शित कराई गई दस्तावेजी साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। जहां तक प्रश्न परीक्षित गवाहान के पुलिसकर्मी/विभागीय व हितबद्ध होने से उनके बयान विश्वास करने योग्य नहीं होने के तर्क का है तो इस संबंध में न्यायालय के विनम्र मतानुसार जब पुलिसकर्मी/विभागीय साक्षीगण ने बतौर लोकसेवक अपने द्वारा या अपने समक्ष की गयी कार्यवाही को न्यायालय के समक्ष सशपथ बयान किया है एवं उनकी साक्ष्य में कोई गम्भीर या तात्विक विरोधाभास उभर कर नहीं आए हो, तब केवल मात्र उनके विभागीय/पुलिसकर्मी गवाह होने से उनकी सशपथ साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार प्रकरण में बरामदगी कार्यवाही संदेह से परे साबित है, जिससे अभियुक्त द्वारा हस्तगत प्रकरण का अपराध कारित किए जाने की पुष्टि होती है।

(12.) इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अभियोजन पक्ष अभियुक्त को आरोपित अपराध से जोडने में व उसके विरूद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। परिणामस्वरूप अभियुक्त आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किए जाने योग्य है।

:: आदेश ::

अतः अभियुक्त लक्ष्मणलाल पिता विठला, उम्र 47 वर्ष, निवासी बडलिया, पुलिस थाना सदर, जिला बांसवाडा (राजस्थान) को अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के आरोप में दोषसिद्ध करार दिया जाता है।

(अंकित दवे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांसवाडा (राज.)

:: दंड के प्रश्न पर सुनवाई ::

दंड के प्रश्न पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त एवं योग्य अभियोजन अधिकारी को सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क है कि अभियुक्त ग्रामीण परिवेश का नवयुवक होकर परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है तथा उसने पूर्ण अन्वीक्षा का सामना किया है तथा यह उसका प्रथम अपराध है। अभियुक्त को जेल भेजे जाने से उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। अतः उसके प्रति सजा में नरमी का रूख अपनाते हुऐ उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को विधि अनुसार उचित दंड से दंडित करने का निवेदन किया।

उभयपक्षो के तर्कों पर विचार किया गया। अभियुक्त 30 वर्ष का ग्रामीण परिवेश का नवयुवक है, जिसकी पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पत्रावली पर मौजूद नहीं है व उससे बरामद शराब की मात्रा भी अत्यधिक नहीं है। अतः अभियुक्त की सामाजिक पृष्ठभूमि , आयु, शील व प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: दंडादेश ::

अतः अभियुक्त लक्ष्मणलाल पिता विठला, उम्र 47 वर्ष, निवासी बडलिया, पुलिस थाना सदर, जिला बांसवाडा (राजस्थान) को अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के आरोप में दोषसिद्ध किए जाने पर तुरंत दंड से दंडित नहीं कर उसे परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) का लाभ निम्न शर्तो की पूर्ति करने पर दिया जाकर परिवीक्षा

पर छोडे जाने का आदेश दिया जाता है किः-

(1.) अभियुक्त 01 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रुपये (अक्षरे दस हजार रुपये) का स्वयं का बंध पत्र एवं इसी राशि की एक जमानत न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराएगा कि परिवीक्षा अवधि में अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा तथा शांति एवं सद्-व्यवहार बनाए रखेगा।

(2.) अभियुक्त को जब भी न्यायालय द्वारा तलब किया जावेगा तो वह सजा भुगतने हेतु उपस्थित रहेगा। इसके अतिरिक्त अभियुक्त को आदेश है कि वह परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत 1000/- रुपए बतौर अभियोजन व्यय के न्यायालय में जमा कराएगा।

अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् पेश जमानत -मुचलके तुरंत प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं। इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की स्थिति में अभियुक्त की अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ आदेश है कि अभियुक्त धारा 437-ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दस हजार रुपये के जमानत -मुचलके पेश करे। प्रकरण में जब्तशुदा शराब बाद गुजरने मयाद अपील नियमानुसार नष्ट की जावे।

(अंकित दवे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांसवाडा (राज.)

निर्णय आज दिनांक 05.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित दवे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांसवाडा (राज.)